IS15700:2018

सेवोत्तम प्रमाणित

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता बागपत वृत्त
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
कार्यालय परिसर, मण्डोला विहार, गाजियाबाद–201102
Email:-circlem@upavp.com

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700

पत्रांक 158 /पी0आर0ओ0–50ई / 14 दिनांक– 23/02/2024

अल्पकालीन ई–निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की ओर से, परिषद में वांछित श्रेणी में पंजीकृत अनुभवी ठेकेदारों/फर्मो से, ई–निविदा एकल/टू–बिड पद्वति के माध्यम से निम्नांकित विवरण के अनुसार आमंत्रित की जाती है, जो उपस्थित निविदादाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सम्बन्धित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड बागपत–01/02/03, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मण्डोला विहार, गाजियाबाद स्थित कार्यालय में निम्न विवरण के अनुसार खोली जायेगी। कार्यो की मात्राए, बी0ओ0क्यू0 के अनुसार होगी, जो घट या बढ सकती है। ई–प्रोक्योरमेंट सोल्यूशन द्वारा निविदाएं निम्नानुसार खोली जाएगी।

क0 सं0	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रू0 लाख में)	धरोहर धनराशि (रू0 लाख में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्रोसेसिंग शुल्क (रू में)	ठेकेदार की परिषद में वांछित पंजीकृत श्रेणी	निविदा पद्वति	खण्ड का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मण्डोला विहार योजना, गाजियाबाद के सेक्टर–23 में अर्थ बैलेन्सिंग का कार्य।	97.55 + (जी0एस0टी0 अतिरिक्त)	1.95	09 माह	3000 + 18% जीएसटी	श्रेणी– II ग्रुप–(i)	टू–बिड	नि0ख0 बागपत–1
2	मण्डोला विहार योजना, गाजियाबाद के सेक्टर–5 में आन्तरिक सड़कों (प्रथम–चरण) का निर्माण कार्य।	246.06 (जी0एस0टी0 अतिरिक्त)	4.92	09 माह	4500 + 18% जीएसटी	श्रेणी–I ग्रुप–(i)	टू–बिड	नि0ख0 बागपत–2
3	मण्डोला विहार योजना, गाजियाबाद के सेक्टर–6 में आन्तरिक सड़कों (द्वितीय चरण) का निर्माण कार्य।	230.38 (जी0एस0टी0 अतिरिक्त)	4.61	06 माह	4500 + 18% जीएसटी	श्रेणी–I ग्रुप–(i)	टू–बिड	नि0ख0 बागपत–3
4	मण्डोला विहार योजना, गाजियाबाद के सेक्टर–8ए एवं 8बी में आन्तरिक सड़कों (प्रथम चरण) का निर्माण कार्य।	632.88 (जी0एस0टी0 अतिरिक्त)	12.66	09 माह	7500 + 18% जीएसटी	श्रेणी– I (क) ग्रुप–(i)	टू–बिड	

नियम एवं शर्तें:–

1. निविदा शुल्क एवं धरोहर धनराशि NEFT/RTGS के माध्यम से निविदा में उल्लेखित बैंक खाते (विवरण निम्नानुसार है), में ही निर्धारित तिथि व समय तक जमा करायी जायेगी।

खण्ड का नाम	बैंक का नाम	खाता संख्या	आई.एफ.एस.सी. कोड
अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–बागपत–01, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मण्डोला विहार, गाजियाबाद।	HDFC Bank, Vasundhra Branch, Ghaziabad	59140020212022	HDFC0000563
अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–बागपत–02, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मण्डोला विहार, गाजियाबाद।	HDFC Bank, Vasundhra Branch, Ghaziabad	59100020222023	HDFC0000563
अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–बागपत–03, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मण्डोला विहार, गाजियाबाद।	HDFC Bank, Vasundhra Branch, Ghaziabad	50100531132601	HDFC0000563

2. **महत्वपूर्ण तिथियां:–**

क0स0	विवरण	दिनांक	समय
1	ई–निविदा प्रकाशन तिथि	24.02.2024	–
2	निविदा डाउनलोड/अपलोड/आर0टी0जी0एस0 करने की प्रारम्भ तिथि	26.02.2024	अपरान्ह 5:00 बजे से
3	वांछित धनराशि की आर0टी0जी0एस0 करने की अन्तिम तिथि	11.03.2024	अपरान्ह 5:00 बजे तक
4	निविदा अपलोड करने की अन्तिम तिथि	11.03.2024	अपरान्ह 5:00 बजे तक
5	बिड खोले जाने की तिथि	12.03.2024	दोपहर 12:00 बजे तक
6	वित्तीय बिड खोले जाने की तिथि	अलग से सूचित की जायेगी।	

3. निविदा खोले जाने की तिथि को अवकाश घोषित होने की स्थिति में, निविदाएं अगले कार्य दिवस में खोली जायेंगी।
4. निविदा की वैधता, निविदा खुलने की तिथि से तीन माह की होगी, जिसके लिये निर्धारित प्रारुप में रू0–100/– का नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर रू0–1/– की रेवेन्यू स्टाम्प सहित हस्ताक्षरित हो, की स्कैन कापी निविदा के साथ ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
5. निविदादाता फर्म को आयकर विभाग/जी0एस0टी0 में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा, जिसकी प्रमाणित प्रति निविदा के साथ संलग्न की जानी आवष्यक होगी।
6. सशर्त निविदा पर विचार नही किया जायेगा।
7. बी0ओ0क्यू0 की दरों में जी0एस0टी0 को छोडकर अन्य समस्त कर सम्मिलित है, जी0एस0टी0 नियमानुसार अतिरिक्त देय होगी। सभी देयकों से आयकर, लेबर सेस व अन्य कर, जो उ0प्र0 सरकार/भारत सरकार द्वारा लागू किया जाता है, की कटौती नियमानुसार की जायेगी। जी0एस0टी0 का तत्समय प्रभावी शासनादेशों/परिषद आदेश के अन्तर्गत निर्धारित दरों के अनुसार एवं फर्म द्वारा जी0एस0टी0 Invoice प्रस्तुत करने के उपरान्त, नियमानुसार अलग से भुगतान किया जायेगा।
8. किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को अपरिहार्य कारणवश निरस्त करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को सुरक्षित रहेगा।
9. समस्त कार्य, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद/उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग/उ0प्र0 जल निगम /MORT&H/IRC/ यू.पी.पी.सी.एल. (विद्युत कार्यों हेतु) की निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार, कराये जायेंगे।
10. निविदा की बी0ओ0क्यू0 में अंकित कार्यों की मात्रा में किसी भी सीमा तक (+/-) परिवर्तन (बढ़ोत्तरी/घटोत्तरी) हो सकता है, जिसके लिए ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
11. निविदा प्रपत्र, परिषद की वेबसाईट www.upavp.com एवं उ0प्र0 इलैक्ट्रोनिक कॉरपोरेशन की वेबसाईट http://etender.up.nic.in पर देखे जा सकते है। इच्छुक ठेकेदारों से अनुरोध है कि नियमित रूप से उक्त वेबसाईटो को देखते रहे, क्योंकि निविदाओं के सम्बन्ध में कोई बदलाव अथवा अतिरिक्त सूचना वेबसाईट पर ही उपलब्ध करायी जायेगी।
12. शासनादेश सं0–622/231–12–2012–2/आडिट/08–टी.सी. दिनांक 8.6.2012 के क्रम में निविदादाता द्वारा बिल ऑफ क्वान्टिटी के विरूद्व डाले गये 10 प्रतिशत below तक 0.5 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत से अधिक below पर 1 प्रतिशत प्रति प्रतिशत अतिरिक्त सिक्योरिटी/परफॉमेन्स गारन्टी एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0/एन0एस0सी0 (किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत) जो कार्य से सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड बागपत–01/02/03, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मण्डोला विहार, गाजियाबाद के नाम बन्धक एवं अनुबन्ध अवधि तक वैद्य हो, के रूप में निविदा की वित्तीय बिड खुलने की तिथि से अधिकतम 07 दिनों के अन्दर, न्यूनतम् निविदादाता को खण्ड कार्यालय में जमा करनी अनिवार्य होगी, अन्यथा की स्थिति में न्यूनतम् निविदादाता के पक्ष में स्वीकृति पर विचार नही किया जायेगा।
13. कार्य हेतु निविदा डालने से पूर्व, ठेकेदार/फर्म कार्यस्थल का किसी भी कार्यदिवस में निरीक्षण एवं निविदा प्रपत्रों का पूर्व अध्ययन अवश्य कर लें। ठेकेदार/फर्म द्वारा निविदा में प्रतिभाग किये जाने की स्थिति में यह माना जायेगा कि ठेकेदार/फर्म द्वारा स्थल का निरीक्षण/परीक्षण कर लिया गया है तथा इस सम्बन्ध में भविष्य में कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

14. निविदादाता के निविदा स्वीकृत/अनुबन्ध गठित होने के उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित निविदादाता सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यो एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तो उसे प्रदान किया गया अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा, जिसमें किसी भी क्षति की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता/ठेकेदार की होगी।
15. निविदा के कार्य में सम्मिलित विशेष प्रकृति के कार्य, तत्संबंधी कार्यो हेतु दक्ष अधिकृत एजेन्सी के पर्यवेक्षण में कराने होंगे।
16. उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्त विनियम नियमावली वर्ष—2009 के विनियम 24 (2) के अन्तर्गत प्रत्येक संविदा के लिए एकल पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अतः निविदा स्वीकृति/अनुबन्ध गठन के पश्चात एक सप्ताह के अंदर पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही देयक का भुगतान किया जायेगा तथा प्रत्येक देयक से नियमानुसार लेबर सेस की कटौती की जायेगी।
17. निविदादाता द्वारा दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा। यदि फर्जी/गलत दस्तावेजों की जानकारी अनुबन्ध गठन के पश्चात होती है, तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर धनराशि जब्त करते हुए काली सूची में डाला जायेगा।
18. कार्य में प्रयुक्त सैम्पल्स की विभाग द्वारा किसी बाहरी एजेन्सी से चैकिंग/टैस्टिंग कराने पर होने वाले व्यय की कटौती, ठेकेदार/फर्म के देयक से की जाएगी।
19. ई—टैन्डरिंग में प्रतिभाग हेतु वांछित अर्ह—श्रेणी एवं उससे उच्च श्रेणी के निविदादाता पात्र होंगे। पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति निविदा प्रपत्रों के साथ अपलोड करना अनिवार्य है।
20. कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। कार्य की मासिक प्रगति निर्धारित मासिक प्रगति चार्ट के अनुसार होनी चाहिये। प्रगति का आंकलन प्रत्येक माह के अन्त में किया जायेगा। विलम्ब की दशा में ठेकेदार को अगले माह के अन्त तक निर्धारित क्यूमुलेटिव प्रगति प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा अनुबन्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नही होगा।
21. निविदा की दर कम या अधिक (Below or Above) अंकित न होने पर, दरें कम (Below) मानी जायेगी।
22. यदि ठेकेदार/फर्म ने स्थायी धरोहर धनराशि (जनरल सिक्योरिटी) जमा की है, तो निविदा के साथ कुल वांछित धरोहर धनराशि व स्थायी धरोहर (जनरल सिक्योरिटी) के अन्तर की धनराशि निविदा के साथ देय होगी।
23. कार्य के विलम्ब होने की स्थिति में, रेरा में प्राविधानित क्लॉज के अनुसार फर्म पर पेनल्टी की बाध्यता लागू होगी।
24. निविदादाताओं/फर्म के निविदा स्वीकृति की दशा में, नियमानुसार जमानत धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 के रूप में, जो कि सम्बन्धित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता के पक्ष में बन्धक हो, निविदा स्वीकृति पत्र के निर्गमन तिथि से 07 कार्य दिवसों के अंदर जी0पी0डब्लू0—9 फार्म में उल्लिखित क्लाज (1) के अनुसार जमा करनी होगी। निविदा स्वीकृति के उपरान्त निर्धारित अवधि में ठेकेदार को अनुबन्ध गठित कराना होगा अन्यथा की स्थिति में निविदा निरस्त करते हुए, जमा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
25. अनुबन्ध गठन के समय प्रभावी नवीनतम शासनादेशानुसार स्टाम्प ड्यूटी देय होगी।
26. यदि निर्माण कार्य की जॉच में गुणवत्ता निम्न स्तर की पायी जाती है तो इसके लिए ठेकेदार/फर्म उत्तरदायी होगी, जिसकी वसूली नियमानुसार फर्म से की जायेगी।
27. निविदा अपलोड करते समय चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र जो जिला मजिस्ट्रेट से निर्गत हो, जो वित्तीय निविदा खुंलने के तिथि के पष्चात तक वैध हो, लगाना होगा।
28. निविदादाता/फर्म को वांछित कार्य के अन्तर्गत पिछले 05 वित्तीय वर्षों में समान प्रकृति के निम्नलिखित तीन विकल्पनों में से किसी एक विकल्प के कार्य के अनुसार (अ, ब, स में से कोई एक को) पूर्ण किये जाने का अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित विभाग से प्राप्त कर संलग्न करना अनिवार्य है।
    अ. निविदा की लागत का कम से कम 80 प्रतिशत के समतुल्य का एक कार्य।
    ब. निविदा की लागत का कम से कम 50 प्रतिशत के समतुल्य का दो कार्य।
    स. निविदा की लागत का कम से कम 40 प्रतिशत के समतुल्य का तीन कार्य।
29. शासनादेश सं0 1345/86—2019 दिनांक 15.07.2019 के अनुसार ठेकेदार/फर्म को स्थल पर लाई गयी सामग्री का नियमानुसार रायल्टी का भुगतान कर वैध रवन्ना (E-MM-11) प्रस्तुत करना होगा तथा आपूर्तिकर्ता से रायल्टी जमा किये जाने के प्रमाण स्वरूप ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी। अन्यथा शासनादेश के अनुसार नियमानुसार निर्धारित रायल्टी की कटौती ठेकेदार/फर्म के देयक से वसूली की जायेगी।

30. **निविदादाता द्वारा कार्य के सम्पादन हेतु आवश्यक मशीनरी के स्व—स्वामित्व/अनुबन्धित होने सम्बन्धी प्रपत्र निविदा के साथ प्रस्तुत करने होंगे।**
31. निर्माण के दौरान, जनसामान्य के सुगम एवं सुरक्षित यातायात आवागमन हेतु साइन बोर्ड लगाना एवं यातायात डायवर्जन हेतु अस्थायी व्यवस्था किया जाना आवश्यक होगा, जिस हेतु अलग से कोई भुगतान नही किया जायेगा।
32. कार्य सम्पादित कराये जाने के दौरान, वर्षा या अन्य दैवीय आपदा के कारण किसी प्रकार की हुई क्षति हेतु परिषद द्वारा कोई भुगतान नही किया जायेगा तथा ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नही होगा। कार्यस्थल पर फर्म को सुरक्षा मानकों का पूर्णतया अनुपालन कराना होगा। कार्यस्थल पर किसी कारणवश, हुई क्षति या दुर्घटना हेतु ठेकेदार/फर्म स्वंय ही जिम्मेदार होगी। इस सम्बन्ध में परिषद द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति देय नही होगी।
33. कार्यों को निर्धारित समय के अन्तर्गत, कार्य की प्राथमिकता के अनुसार चरणवार इस प्रकार सम्पादित कराना होगा कि स्थल पर किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो एवं सभी कार्य सुगमतापूर्वक, समयबद्ध/गुणवत्ता के साथ पूर्ण हो सकें।
34. अन्य नियम व शर्तें निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय बिड के अनुसार होगी।
35. जी0पी0डब्लू0—9 फार्म में प्राविधानित नियम व शर्तें अनुबन्ध में लागू रहेंगी।
36. एन.जी.टी. संबंधी नियमों का अनुपालन किये जाने हेतु निविदादाता फर्म द्वारा अनुबंध गठन के समय शपथ पत्र दिया जाना अनिवार्य होगा।
37. उ0प्र0 शासन/जिला प्रशासन द्वारा निर्माण कार्य से संबंधित दिये गये निर्देशों का शत—प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।
38. किसी प्रकार के सर्वर आदि के आकस्मिक रूप से विलम्बित होने अथवा सर्वर त्रुटि होने के कारण बिड डाउनलोड/अपलोड करना अथवा परिषद खाते में धनराशि विलम्ब से प्राप्त होने की स्थिति में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद उत्तरदायी नहीं होगा।
39. कमांक—3 पर अंकित कार्य हेतु निविदादाता द्वारा हॉट मिक्स प्लान्ट एवं अन्य तत्सम्बन्धी आवश्यक मशीनरी के स्वंय के स्वामित्व सम्बन्धी प्रपत्र अथवा हॉट मिक्स प्लान्ट के स्वामी द्वारा इस आशय का शपथ—पत्र संलग्न किया जाये कि वांछित मैटेरियल गुणवत्तायुक्त एवं आवश्यकतानुसार समय पर निविदादाता को उपलब्ध की जायेगी एवं उनके सूचारु रुप से कार्यरत होने सम्बन्धी हॉट मिक्स प्लान्ट कार्य स्थल से 40 किमी0 की परिधि में चालू हालत में स्थापित होने सम्बन्धी शपथ—पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।
40. मिटटी का कार्य केवल दिन के समय ही किया जायेगा।

अधीक्षण अभियन्ता

पृ0सं0 158 /उपरोक्तानुसार/ 14 तद्दिनांक—23/07/2024

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता (म0), उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।
2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
3. इन्चार्ज, कम्प्यूटर सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त ई—निविदा सूचना को परिषद की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड बागपत—01/02/03, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मण्डोला विहार, गाजियाबाद।

अधीक्षण अभियन्ता